भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये | TEN RUPEES

रु. 10 | Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AE 239938

क्षेत्रीय कार्यालय निबन्धक समितियाँ
सत्यमेव जयते
अयोध्या उ0 प्र0

नवयुग शिक्षा समिति

सुल्तानपुर रजि0-8577

संशोधित नियमावली

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
अयोध्या (उ0 प्र0)
08/07/2020

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : नवयुग शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : ग्राम रतनपुर बारी सहिजन,पोस्ट–कुन्दा भैरोपुर, तहसील–कादीपुर,जिला–सुलतानपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. संस्था का उद्देश्य :

1. ग्राम रतनपुर बारी सहिजन,कुन्दापुर भैरोपुर कादीपुर सुलतानपुर मे नवयुग महा विद्यालय की स्थापना एंव संचालन करना।
2. साहित्यिक एंव वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना।
3. रतनपुर बारी सहिजन व भारवतर्ष के किसी भी स्थान पर अनय शैक्षणिक संस्था की स्थापना एंव संचालन।
4. केन्द्रीय एंव राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमोदित विभिन्न संस्थागत सांस्कृतिक एवं रोजगार परक शिक्षा कार्यकमों का संपादन करना।
5. ज्ञान एवं शोध तथा अन्य तत्समय उद्देश्यों हेतु छात्रवृत्तियां तथा फेलोशिव प्रदान करना।
6. ऐसा हर सम्भव कदम उठाना जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपकारी एंव सहायक हों।
7. शासन के मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय एकता एंव समाज के उत्थान के कार्यकमों को आगे बढ़ाना।
8. समाज में स्वरोजगार योजना एंव आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करना।
9. गरीब,विकंलागों,मूक वधिर,मन्दबुधि आदि को शिक्षादीक्षा,पुनर्वास हेतु कार्य करना एंव प्रचार प्रसार करना तथा सरकारी विभिन्न कार्यकमों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
10. गरीब अनुसूचित जातियों को मुफ्त शिक्षादीक्षा एंव रोजगार परक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
11. गरीब एंव निराश्रित महिलाओं के कल्याणार्थ एंव उनके जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगारपरक शिक्षा देना एंव कार्य करना।
12. गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ कार्य करना।
13. परिवार नियोजन एवं कुष्ठ रोग नियन्त्रण हेजु समाज में जागरूकता पैदा करना एंव कार्य करना।
14. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मान्य व्यवसायपरक शिक्षा,तकनीकी शिक्षा एंव शिक्षा की व्यवस्था करना तथा शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा तथा तत्सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना।
15. पर्यावरण एवं जल तथा वन्यजीव संरक्षण हेतु कार्य करना।
16. समाज कल्याण विभाग द्वारा जनहित में चलाये गये कार्यकमों का कियान्वयन करना एवं समाज कल्याण हेतु वह प्रत्येक कार्यकमों को करना जो समाज व देश के हित मे हो। तथा प्राकृतिक व दैवीय आपदा आने पर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना व शासन प्रशासन द्वारा चलाये गये कार्यकमों में सहयोग प्रदान करना।

17. चिकित्सा पद्वति से विभिन्न विधाओं के विकास हेतु होमियोपैथिक,आयुर्वेदिक एंव एलौपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना करना एंव सफल संचालन करना एंव तकनीकी शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग,आई.टी.आई.पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना करना एवं सफल संचालन करना।

18. लोगों को आप निर्भर बनाने हेतु इलेक्ट्रानिक कला,टाइपिंग,टेलरिंग,ब्यूटीशियन के क्षेत्र में प्रशिक्षण योजनाओं चलाना एंव लघु कुटीर उद्योग लगाने हेतु प्रषिक्षण की व्यवस्था करना।

19. समिति के उद्देश्य पूर्ति हेतु समिति व उससे सम्बन्धित संस्थानों की चल अचल सम्पत्ति पट्टे पर देने कय विकय से तथा किराये पर देने की व्यवस्था करना।

20. विभिन्न चिकित्सा पद्वतियों के तहत लोगों के इलाज हेतु विभिन्न हास्पिटल की स्थापना करना तथा सफल संचालन करना।

21. चिकित्सीय एंव तकनीकी क्षेत्र में विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु रिसर्च सेंटर की स्थापना करना तथा सफल संचालन करना।

22. शारीरिक एंव मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एंव बच्चों हेतु विकलांग विद्यालय एंव अन्ध विद्यालय की स्थापना करना एंव उसके पुनर्वास हेतु पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उसका सफल संचालन करना।

23. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ अकाल,भूकम्प,आगजनी,महामारी एंव दुर्धटना में समय समय पर पीड़ितों की सहायता करना।

24. निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारों एंव दायित्वों के प्रति शिक्षण एवं प्रशिक्षण करना।

25. जन सामान्य को न्याय दिलाने हेतु समय समय पर विधिक सहायता केन्द्र चलाकर जानकारी उपलब्ध कराना।

26. समय समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।

27. पुस्तकालय पत्र पत्रिकाओं का संचालन करना एवं प्रबन्धकारिणी समिति एंव साधारण सभा की बैठकों की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी जायेंगी।

28. समाचार पत्र पत्रिकाओं का संचालन करना सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज उत्पीड़न अत्याचार एवं यौन शोषण बाल यौन शोषण मादक द्रव्यों का सेवन इत्यादि के विरूद्व जन जागरण करना एंव विधिक सहायता प्रदान करना।

29. जन समुदाय में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने हेतु भारतीय महापुरूषों एंव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से सम्बन्धित संगोष्ठियों,सेमीनार एंव सांस्कृतिक कार्यकमों का आयोजन करना व कराना।

30. नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु डेरी फार्म एवं पशुपालन प्रदान करना।

31. स्वरोजगार योजना के तहत खाद्य सामग्री की शुद्वता का विशेष ध्यान देते हुये खद्य सामग्री का उत्पादन करना व एकत्रीकरण करना तथा सहकारी समिति का गभंन कर उचित मूल्यों पर उपभोगताओं तक पहुँचाना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
अयोध्या (उ० प्र०)
08/07/2020

32. वन जीवन–जन्तु पक्षी इत्यादि के संरक्षों हेतु सघन अभियान चलाना।

33. आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की शिक्षा चिकित्सा,शादी विवाह करना।

34. प्रशिक्षित एंव अप्रशिक्षित लोगों का संगठन बना कर योग्यता एंव क्षमता के अनुरूप रोजगार प्रदान करने का प्रयास करना तथा उसकी समस्याओं का उचित एंव वैधानिक प्राविधान करना व कराना।

35. असंगठित मजदूरों को संगठित कर नियमित रोजगार प्रदान कराने का प्रयास करना तथा उनके समस्याओं का उचित एवं वैधानिक समाधान करना व कराना।

36. सामान्य उद्देश्य प्रेरित अन्य संस्थाओं का अपने आवश्यकतानुसार सम्बद्व होना एंव उसका अधिग्रहण करना तथा उसका सदस्यता प्रदान करना।

37. समिति के उद्देश्य पूर्ति हेतु वाहन जमीन आदि क्रय व विक्रय करने की व्यवस्था करना।

38. कार्यक्रमों एंव उसके वित्तीय सहायता अनुदान परामर्श आदि लेकर समाज के निर्धन अल्पसंख्यक पिछड़े अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को प्रशिक्षण करके स्वावलम्बी बनाना।

39. कृषि क्षेत्र में कृषक समाज को आर्थिक व सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने सहकारी खेती को बढ़ावा देना इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से कृषक मेला आदि का आयोजन करना साथ ही साथ कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना,समुचित जल प्रबन्ध करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना,मृदा संरक्षण,पर्यावरण संरक्षण हेतु जैविक कृषि को बढ़ावा देना,कृषि उपज का बेहतर मूल्य हेतु विपणन की व्यवस्था करना।

40. मानव संशाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से सम्बन्धित सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्र में प्रचार प्रसार तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं के कियान्यवन हेतु कार्य करने एंव स्वंय सहायता समूह कौशल विकास आदि योजनाओं के कियान्यवन पर कार्य करना।

भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वचछता अभियान के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना एंव कार्य करना।

योग के क्षेत्र में कार्य करना यथा समाज में योग के प्रति लोगों को जागरूक करना और तत्सम्बंन्धी योजनायें जो भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जाय उन पर कार्य करना तथा शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
अयोध्या (उ० प्र०)
08/07/2020

संशोधित नियमावली

1. समिति का नाम : नवयुग शिक्षा समिति
2. समिति का पता : ग्राम–रतनपुर बारी सहिजन, पोस्ट कुन्दा भैरोपुर, तह0 कादीपुर, जिला सुलतानपुर
3. समिति का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :
   1. विशिष्ट सदस्य– जो 100000.00 (एक लाख) रूपये से अधिक की धनराशि समिति को दे वे विशिष्ट सदस्य होगें।
   2. आजीवन सदस्य – ऐसे लोग जो 50000.00रू0 की नगद की धनराशि समिति को दे वे ही समिति के आजीवन सदस्य होगें।
   3. साधारण सदस्य – ऐसे लोग जो रू0 25000.00 (पच्चीस हजार) नगद की धनराशि समिति को देगें वे समिति के साधारण सदस्य होगें। ऐसे सदस्य का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष होगा।

कार्यालय निबन्धक समितियाँ अयोध्या उ0 प्र0 सत्यमेव जयते

5. सदस्यता की समाप्ति :–
   1. मृत्यु होना।
   2. न्यायालय द्वारा दण्डित होना।
   3. नैतिक या चारित्रिक अक्षमता में लीन होना।
   4. पागल या दीवालिया होना।
   5. संस्था के विरूद्ध कार्य करना।
   6. समय से सदस्यता शुल्क न देना।
   7. अन्य किसी अनर्हता की सिद्ध होना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
अयोध्या (उ0 प्र0)
08/07/2020

6. समिति के अंग :
   1. साधारण सभा
   2. कार्यकारिणी समिति
7. साधारण सभा :

(अ) गठन — समिति के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा

1. सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति साधारण सभा के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र देगा तथा अपेक्षित धन समिति के सचिव/प्रबन्धक के पास जमा करेगा। सचिव साधारण सभा की बैठक में उपरोक्त को प्रस्तुत करेगा। साधारण सभा का निर्णय उपरोक्त के संबंध में अंतिम माना जायेगा।

H. N. Misra
ओमप्रकाश मिश्र
वी० पी० तिवारी
V. S. Upadhyay

राजेन्द्र [illegible]

प्रबन्धक
नवयुग शिक्षा समिति
रतनपुर बारी सहिजन
सुलतानपुर (उ0 प्र0)

(5) संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको इस संस्था के स्मृति–पत्र तथा नियमावली के अनुसार कार्यभार सौपा गया है ।

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री हृदय नारायण मिश्र पुत्र श्री लालताप्रसाद मिश्र	ग्राम कलाफतपुर पो.मिल्कीपुर आजमगढ़	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री ओम प्रकाश मिश्र पुत्र श्री कमलाकान्त मिश्र	ग्राम मरदानपुर हौज पो.जफराबाद जौनपुर	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री राज प्रसाद उर्पाध्याय पुत्र श्री ईशनरायण उपा.	रतनपुर पो.कुन्दा भैरवपुर सुलतानपुर	प्रबन्धक/ सचिव	कृषि
4.	श्री विजयशंकर उपाध्याय पुत्र श्री बनारसीलाल उपा.	ग्राम व पो.समन्सा जिला,जौनुपर	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्री वीरेन्द्र प्रताप तिवारी पुत्र श्री रामअचल तिवारी	ग्राम सलाहपुर अकबालपुर पो.इटौरी जिला अम्बेडकरनगर	लेखापरीक्षक	कृषि
6.	श्री रामनयन पाण्डेय पुत्र श्री धर्मराज पाण्डेय	ग्राम नसेड़ी पो.नसीरपुर अम्बेडकरनगर	सदस्य	कृषि
7.	श्री आदर्श पुत्र श्री जयप्रकाश	रतनपुर पो.कुन्दा भैरवपुर जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती नीलम पत्नी श्री हृदयनाथ	अश्वनी कुमार रोड पटेलनगर सूरत गुजरात	सदस्य	कृषि
9.	श्री जयप्रकाश पुत्र श्री बाकेलाल	ग्राम नगरी पो.हकीमपुर सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
10.	श्री सच्चिदानन्द पुत्र श्री रामजियावन	ग्राम अहिरी फिरोजपुर पो.अल्लीपुर सरावां जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
11.	श्री अवधेश पुत्र श्री दल सिंगार	ग्राम नगरी पो.हकीमपुर जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि

कार्यालय निबन्धक ... सत्यमेव जयते ... अयोध्या उ0 प्र0

(6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था उपरोक्त को स्मृति–पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत समिति को पंजीकृत कराना चाहते है :–

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
अयोध्या उ0 प्र0
08/07/2020

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

H. N. Misra   O. P. Misra   राजप्रसाद उपाध्याय
सच्चिदानन्द   रामनयन पाण्डेय   आदर्श
वी. पी. तिवारी   नीलम   अवधेश
जयप्रकाश   V. S. Upadhyay

2. साधारण सदस्य भी अपेक्षित धन जमा करके साधारण सभा के अध्यक्ष की अनुमति से आजीवन सम्मानित सदस्य का स्थान ग्रहण कर सकते है,।

(ब) बैठक

सामान्य बैठक : समिति के कार्यो के निष्पादन हेतु वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी जब भी आवश्यक होगा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक आहूत करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थिति में सचिव/प्रबन्धक बैठक आहूत करेगा।

विशेष बैठक : समिति के सदस्यों की कुल संख्या 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित मांग किए जाने की दशा में मांग पत्र` एक माह के अन्दर बैठक आहूत की जायेगी।

(स) सूचना अवधि

साधारण बैठक : कम से कम 7 दिनों की स्पष्ट सूचना समिति के सदस्यों को साधारण बैठक हेतु दी जायेगी।

आवश्यक बैठक : आवश्यक बैठक के लिए कम से कम 3 दिनों की स्पष्ट सूचना समिति के सदस्यों को बैठक हेतु दी जायेगी।

आकस्मिक बैठक : तत्काल किसी समस्या के समाधान हेतु विशेष परिस्थितियों में सचिव/प्रबन्धक के आग्रह पर अध्यक्ष विशेष वाहक द्वारा सूचना भेजकर 24 घन्टे के अन्दर आपात बैठक कर सकता है।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
अयोध्या (उ० प्र०)
08/07/2020

(द) कोरम

समिति` सदस्यों के कुल संख्या के 2/3 सदस्यों की संख्या किसी बैठक के लिए कारम का कार्य करेगी। किसी भी बैठक में कोरम न पूरा होने की दशा में अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकमा है तथा अगली बैठक की तिथि निश्चित कर कसता है। इसके लिए समिति के सदस्यों को लिखित सूचना भेजनी आवश्यक है, परन्तु ऐसी स्थगित बैठक के लिए कोरम कदापि आवश्यक नहीं होगा।

(य) साधारण सभा के कर्तव्य और अधिकार :

1. साधारण सभा को अपने अन्य समिति द्वारा (जिसे आवश्यकतानुसार व गठित करेगी) संचालित संस्था के कार्यो एवं प्रबन्धक को जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
2. समिति संस्था के कार्यकारिणी सभा के सदस्यों का चुनाव करेगा।
3. जब भी आवश्यक होगा साधारण सभा अपने द्वारा संचालित समिति एवं सस्था की समृद्धि कुशल प्रबन्धन एवं बेहतर कार्य हेतु संचेत रहेगी तथा अचित सलाह देगी।
4. साधारण सभा कार्यकारिणी के चुनाव की तिथि पूर्ण होने के पूर्व अगलर कार्यकारिणी का चुनाव करायेगी। तथा चुनी गई दूसरी

H.N. Misra
ओम प्रकाश मिश्र
वी० पी० तिवारी
V. S. Upadhyay

प्रबन्धक
नवयुग शिक्षा समिति
रतनपुर बारी सहिजन
सुलतानपुर (उ० प्र०)

कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने पर कार्यभार ग्रहण करायेगी।

5. किसी अपरिहार्य कारणों के उत्पन्न होने पर पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ा सकती है।
6. साधारण सभा के प्रत्येक सदस्यों को समिति के कार्यों के निष्पादन अथवा चुनाव हेतु वोद देने का अधिकार होगा किसी भी विवाद की दशा में बैठक या चुनाव में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विवाद का हल किया जायेगा।

कार्यालय निबन्धक समितियाँ अयोध्या उ० प्र० सत्यमेव जयते

8. कार्यकारिणी सभा :

(1) गठन

साधारण सभा अपने सदस्यों में से कार्यकारिणी सभा के सदस्यों का चयन करेगी जिसमें निम्न पदाधिकारी एवं सदस्य होगें :–

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव / प्रबन्धक
4. कोषाध्यक्ष
5. लेखापरीक्षक तथा 6 सदस्य होगें।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
अयोध्या (उ० प्र०)
08/07/2020

(2) बैठक

(अ) सचिव / प्रबन्धक समिति के कम से कम 4 सदस्यों द्वारा किसी विचारणीय विषय या प्रस्ताव पर विचार करने हेतु लिखित मांग करने पर अध्यक्ष की अनुमति से कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलायेगा।

(ब) कार्यकारिणी सभा की सामान्य बैठक सचिव / प्रबन्धक द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार अवश्य आहूत की जायेगी।

(स) पदाधिकारियों के चुनाव हेतु अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक आहूत की जायेगी।

(3) सूचना

साधारण बैठक बुलाने हेतु कम से कम 7 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है।

आपात कालनीन बैठक हेतु संचिव / प्रबन्धक अध्यक्ष की अनुमति से विशेषवाहक द्वारा सूचना भेजकर 24 घन्टे के अन्दर बैठक बुला सकता है।

(4) कोरम

कार्यकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की संख्या बैठक की वैधता हेतु पूर्ण मानी जायेगी वही उसका कोरम होगा किसी आकस्मिक बैठक के समय एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति ही बैठक की वैधता हेतु पूर्ण मानी जायेगी।

H.N. Mishra

V.S. Upadhyay

प्रबन्धक
नवयुग शिक्षा समिति
रतनपुर बारी सहिजन
सुलतानपुर (उ० प्र०)

(5) रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति के किसी भी स्थान के रिक्त की दशा में साधारण सभा अपने 2/3 बहुमत के द्वारा उक्त स्थान की पूर्ति करेगी।

(6) कार्यकारिणी समिति की शक्तियॉ तथा उनका कार्य :

1. समिति क`लेखा–जोखा पर विचार करना तथा उचित पाये जाने पर उसे पारित करना।
2. समिति तथा संस्था के कर्मचारियों को नियुक्त करना, स्थाई करना, पदोन्नति देना, दक्षता विरोध को पार करने की अनुमति देना, लम्बित करना, दण्ड देना तथा सेवा समाप्त करना। उपरोक्त कार्य समिति के कायदे कानून के तहत ही किए जा सकेगे।
3. संस्था के कर्मचारियों के लिए देय सभी छुट्टियों की स्वीकृति करना, किसी भी वाद की दशा में, प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर निर्णय देना।
4. संस्था की सभी प्राभूर्ता, धन, सम्पत्तियॉ, प्रतिभूतियों को नियंत्रित करना तथा उनका उचित प्रबन्धन करना। उनकी सुरक्षा तथा उचित रख–रखाव हेतु उचित कदम उठाना।
5. संस्था के उन्नयन हेतु सभी आय, चंदा, उपहार, लाभांश, ब्याज तथा अनुदान इत्यादि प्राप्त करना तथा उनका समुचित सदुपयोंग संस्था के हित में सुनिश्चत करना।
6. संस्था के विकास हेतु कायदे कानून के तहत अन्य किसी भी कार्य को करना या कायदे क़ानून के तहत समय विशेष हेतु सुनिश्चित अन्य किसी कार्य को करना।

(कार्यालय निबन्धक समितियाँ अयोध्या उ० प्र० — सत्यमेव जयते)

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
अयोध्या (उ० प्र०)
08/07/2020

(7) कार्यकाल : प्रबन्धसमिति का क़ार्यकाल 5 वर्ष का होगा। किसी अपरिहार्य कारणों के उपस्थिति होने पर साधारण सभा 2/3 बहुमत यथावश्यक समय बढ़ा सकती है।

9. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

(1) अध्यक्ष

1. कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्षता करना तथा बैठक में प्रस्तुत सभी कार्यो को नियंत्रित करना तथा उनको सम्पादित करना।
2. संस्था से सम्बन्धित किसी भी समझौते दस्तावेजों पर सचिव/प्रबन्धक के साथ सामूहिक रूप से हस्ताक्षर करना।
3. समिति के किसी भी कायदे कानून के तहत अध्यक्ष के लिए निर्धारित अन्य किसी शक्ति का प्रयोग करना या कर्तव्यों का निर्वहन करना।

(2) उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों को इस्तेमाल करना तथा

H.N. Misra
ओम प्रकाश मिश्र
A. K. Mishra
V.S. Upadhyay

राजमणि त्रिपाठी
प्रबन्धक
नवयुग शिक्षा समिति
रतनपुर बारी सहिजन
सुलतानपुर (उ० प्र०)

अध्यक्ष के कर्तव्यों एवं कार्यो एवं कार्य का निर्वहन करना तथा अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यो का निष्पादन करना।

(3) सचिव/प्रबन्धक :

1. संस्था एवं समिति हेतु किसी भी प्रकार के धन, अनुदान, योगदान, दान एवं चंदा प्राप्त करना तथा दाता को तद् हेतु उचित पावना पत्र निर्गत करना।
2. संस्था के धन एवं सम्पत्ति एवं वित का संचालन एवं नियंत्रण करना संस्था के धन सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान करना तथा संस्था के हित में उसके धन सम्पत्ति का विनियोजन करना।
3. संस्था के सम्पूर्ण मदों का संचालन करना।
4. संस्था के कर्मचारियों के वेतन एवं अवकाशों को परित एवं स्वीकृत करना।
5. संस्था हेतु सभी के अनुबन्धों एवं दस्तावेजों पर अध्यक्ष के साथ सामूहिक रूप से हस्ताक्षर करना।
6. वार्षिक आय–व्यय का ब्यौरा बजट तैयार करना तथा अध्यक्ष के समक्ष उक्त को प्रस्तुत करना ताकि अध्यक्ष को प्रबन्धसमिति के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें।
7. हर कानूनी प्रकिया में संस्था तथा समिति का प्रतिनिधित्व करना तथा उनकी तरफ से वकालतनामें एवं अन्य न्यायालयी पत्राजातों पर हस्ताक्षर करना।
8. अध्यक्ष की अनुमति से प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाना सूचना निर्गत करना तथा संस्था के प्रबन्धन एवं संचालन सम्बन्धी ब्यौरा तैयार करना।
9. संस्था एवं प्रबन्ध समिति के मध्य वैचारिक आदान–प्रदान हेतु समक्ष सामान्यय माध्यम का कार्य करना तथा मुख्य कार्यवाही शाखा के रूप में कार्य करना।
10. संस्था तथा समिति के सभी मदों के धन का आहरण करना तथा संस्था तथा समिति के हित में उसका सदुपयोग करना।
11. ऐसा अन्य कार्य करना जो संस्था के लिए हितकर तथा लाभकारी हो।
12. संस्था के प्रबन्धक/सचिव किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान/प्राइवेट बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है।
13. संस्था के प्रबन्धक/सचिव को साधारण सभा के बहुमत से समिति की चल–अचल सम्पत्ति पट्टे पर देने, कय–विकय करने व किराये पर

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
अयोध्या (उ० प्र०)
08/07/2020

कार्यालय निबन्धक समितियाँ अयोध्या उ० प्र०
सत्यमेव जयते

H. N. Mishra
ओम प्रकाश मिश्रा
बी. पी. तिवारी
V. S. Upadhyay

राजश्री 3347 प्रबन्धक
प्रबन्धक
नवयुग शिक्षा समिति

देने, बन्धक/गिरवी रखने एवं समिति द्वारा संचालित संस्थाओं को विकय, पट्टे पर देने, अथवा दान आदि देने का अधिकार होगा।

(4) लेखापरीक्षक : संस्था के सभी मदों का निरीक्षण एवं सम्परीक्षण करना तथा उसकी आख्या तैयार करके सचिव/प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।

(5) कोषाध्यक्ष :

1. संस्था के सम्पूर्ण धन एवं मदों का हिसाब रखना।
2. संस्था के धन एवं मदों के आय-व्यय की वार्षिक आख्या तैयार करना तथा सम्परीक्षण आख्या के साथ सचिव/प्रबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. संस्था के सभी मदों की सामान्य देखभाल करना तथा प्रबन्धसमिति को वित्तीय नीति के सम्बन्ध में उचित सलाह देना।

क्षेत्रीय कार्यालय निबन्धक समितियाँ सत्यमेव जयते अयोध्या उ० प्र०

10. समिति के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया :-

साधारण सभा अपने 2/3 बहुमत द्वारा समिति के नियमों व विनियमों में संशोधन परिवर्धन एवं परिवर्तन कर सकेगी।

11. समिति का कोष :-

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खोले गये खाते में जमा किया जा सकेगा। जिसका संचालन सचिव/प्रबन्धक अपने हस्ताक्षर से करेगा।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
अयोध्या उ० प्र०
08/07/2020

12. समिति के आय-व्यय का लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) आडीटर से कराया जायेगा।

13. समिति द्वारा अथवा समिति के विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :-

यदि समिति पर मुकदमा चलाती है या कोई व्यक्ति समिति पर मुकदमा चलाता है तो उसके पक्ष विपक्ष की पैरवी का उत्तरदायित्व सचिव/प्रबन्धक पर होगा।

14. समिति के अभिलेख :-1.सदस्यता रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर 3. स्टाक रजिस्टर 4. कैश-बुक आदि

15. समिति के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

H. N. Misra
मोहन योगेन्द्र मिश्र
A. K. तिवारी
V. S. Upadhyay

राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय
प्रबन्धक
नवयुग शिक्षा समिति